



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072025-264353
CG-DL-E-03072025-264353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2908]
No. 2908]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

का.आ. 2975(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड- 3 उप-खंड (ii) दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना का.आ. 4512(अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2024, जिसमें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप धारा (1) यथा अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की अवधि की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त प्राचीन स्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;


और, उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपियां दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

चित्रित शैलाश्रय, इसको, बड़कागाँव, जिला हजारीबाग, झारखण्ड
का स्थल मानचित्र

0 50 100 150 200
मीटर



संरक्षित स्मारक की सीमा —•—•—•—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल किये गए राजस्व भूखण्ड संख्या		क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्वामित्व	सीमाएं
					खाता	प्लाट			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखण्ड	हजारीबाग	बड़कागाँव	इसको	चित्रित शैलाश्रय	37	413 (अंश)	13.80	झारखण्ड सरकार	उत्तर: प्लाट सं. 413 दक्षिण: प्लाट सं. 413 पूर्व: प्लाट सं. 413 पश्चिम: प्लाट सं. 413
कुल क्षेत्र						13.80 एकड़			

[फा. सं. टी-19012/20/2021-स्मा.]

यदुबीर सिंह रावत, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION


New Delhi, the 2nd July, 2025

S.O. 2975(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India), number S.O. 4512(E), dated the 15th October, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th October, 2024, the Central Government gave two months notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said monument, as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 15th October, 2024;

And whereas no objections from the public have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares that the ancient monument specified in the Site Plan and Schedule annexed hereto, to be of national importance.



SCHEDULE

State	District	Tahsil	Locality	Name of Monument	Revenue Survey numbers included under protection		Area (in Acre)	Ownership	Boundaries
					Khata	Plot No.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jharkhand	Hazaribagh	Barkagaon	Isko	Painted Rock Shelter	37	413 (Part)	13.80	Govt. of Jharkhand	North: Plot No. 413 South: Plot No. 413 East: Plot No. 413 West: Plot No. 413
Total Area							13.80 Acre		

[F. No. T-19012/20/2021-M]

YADUBIR SINGH RAWAT, Director General